



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 265 राँची, सोमवार,

15 चैत्र, 1938 (श०)

4 अप्रैल, 2016 (ई०)

परिवहन विभाग

संकल्प

18 मार्च, 2016

विषय : झारखण्ड राज्य सडक सुरक्षा नीति-2016 के सुनीकरण के संबंध में।

संख्या: परिवि/स/सु/143/2015- 460--झारखण्ड राज्य में सडक दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि के कारण उसके घातक परिणामों से सरकार अत्यन्त चिन्तित है। विदित हो कि सडक दुर्घटनाएं एक सार्वजनिक स्वास्थ्य का मुद्दा बन गयी है एवं इसके पीड़ित मुख्य रूप से समाज के कमजोर वर्गों से हैं।

सडक दुर्घटनाओं से न सिर्फ सडक का उपयोग करने वाले बल्कि वाहन चलाने वाले भी प्रभावित होते हैं। फलस्वरूप सडक सुरक्षा के संबंध में एक पूर्ण प्रस्ताव की आवश्यकता है। राज्य सरकार का यह मानना है कि सडक दुर्घटनाओं एवं उसके कारण आये चोटों और उनके घातक परिणामों में कमी राज्य एवं केन्द्र सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी एवं प्रयासों से ही संभव है।

उपर्युक्त के आलोक में राज्य सरकार सडक दुर्घटनाएँ न हो एवं यदि दुर्घटना घट जाती है तो उसके घातक परिणामों में कमी लाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस हेतु सरकार निम्न नीति निर्धारित करती है -

नीति

1- सडक सुरक्षा के संबंध में जागरूकता

राज्य सरकार सडक सुरक्षा में महत्वपूर्ण एवं गुणात्मक सुधार के लिए सडक सुरक्षा की समस्याओं, उसके सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव के बारे में नागरिकों में जागरूकता को बढ़ावा देने का प्रयास करेगी।

राज्य सरकार सडक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न हितकारकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नागरिकों को सुरक्षा के संबंध में जागरूक करेगा।

2- संस्थागत व्यवस्थाओं को मजबूत बनाना

राज्य सरकार सडक सुरक्षा के कार्यान्वयन एवं उसमें आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए प्रभावी संस्थागत व्यवस्था की स्थापना करते हुए सडक सुरक्षा कोष (Road Safety Fund) की स्थापना करेगी।

3- सुरक्षित सडक संरचना स्थापित करना

राज्य सरकार सड़कों के सुरक्षित डिजाइन तैयार करने के उपायों को बढ़ावा देगी। सरकार सुनिश्चित करेगी कि सडक डिजाईन में उपलब्ध सबसे अच्छे तरीकों एवं उपायों को इसमें शामिल किया जाय। सरकार सडक दुर्घटना में कमी लाने के लिए सड़कों के Black Spot की सर्वेक्षण कर उन्हें दूर करने का उपाय करेगी।

4- सुरक्षित वाहन

राज्य सरकार पुराने वाहनों के परिचालन पर प्रभावी रोक लगायेगी एवं वाहनों से होने वाले प्रदूषण के स्तर को मानक स्तर तक लाने के लिए उनकी लगातार जाँच एवं प्रभावी कदम उठायेगी।

5- सुरक्षित चालक

राज्य सरकार चालकों के कौशल में सुधार हेतु चालक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना करेगी एवं निजी क्षेत्र में चालक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना को प्रोत्साहित करेगी। साथ ही इसमें सुधार के लिए चालक अनुज्ञासि के लिए गुणात्मक परीक्षण एवं कौशल मूल्यांकन के लिए उपाय करेगी।

6- सडक उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा एवं उनके प्रति संवेदनशीलता

सभी प्रकार की सड़कों (ग्रामीण एवं शहरी) के डिजाईन एवं निर्माण में गैर मोटराईज्ड एवं शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्ति सुविधापूर्वक एवं सुरक्षित यात्रा कर सके, इसका उपाय किया जायेगा।

7- सडक सुरक्षा की शिक्षा एवं प्रशिक्षण

राज्य सरकार शिक्षा, प्रशिक्षण और प्रचार अभियानों के माध्यम से सडक सुरक्षा के संबंध में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रभावी कदम उठायेगी। स्कूल एवं कॉलेजों के पाठ्यक्रम में सडक सुरक्षा को सम्मिलित किया जायेगा।

राज्य सरकार सडक सुरक्षा के प्रचार कार्यक्रमों में भाग लेने एवं उसके कार्यान्वयन में विशेषज्ञों एवं गैर सरकारी संगठनों को प्रोत्साहित करेगी।

8- यातायात कानूनों का प्रवर्तन

राज्य सरकार यातायात प्रवर्तन की गुणवत्ता में सुधार लायेगी और केन्द्र सरकार की पहल में सकारात्मक सहयोग देगी।

राज्य सरकार प्रवर्तन ऐजेंसियों को पर्यास रूप से प्रशिक्षित एवं सुसज्जित कर उनके कार्यों में गुणात्मक एवं मात्रात्मक सुधार के लिए पर्यास एवं उचित कदम उठायेगी।

9- सड़क दुर्घटनाओं में पीड़ितों को आपातकालीन चिकित्सा सहायता

राज्य सरकार सड़क दुर्घटनाओं में पीड़ित व्यक्तियों के इलाज के लिए प्रभावी ट्रॉमा केयर एवं स्वास्थ्य प्रावधान का लाभ सुनिश्चित करने के लिए पूरी गंभीरता से प्रयास करेगी। ऐसी सारी सेवाओं यथा - फर्स्ट एड, एम्बुलेंस आदि बचाव अभियानों सहित उचित अस्पतालों की सूची परिवहन विभाग की वेब साईट पर प्रदर्शित करेगी।

10 सड़क सुरक्षा सूचना डाटाबेस की स्थापना

राज्य स्तर पर सड़क सुरक्षा सूचना तंत्र स्थापित किया जायेगा। सड़क दुर्घटनाओं से सम्बन्धित डाटा का संग्रहण, विश्लेषण तथा सुरक्षा के उपायों के लिए प्रयास किया जायेगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रतन कुमार,

सचिव,

परिवहन विभाग ।